समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

संसदीय समिति: खामियां दूर कर पेशे को और आकर्षक बनाने पर जोर

नोटरी पब्लिक की नियुक्तियों में भी आरक्षण लागू करने की सिफारिश

नई दिल्ली। विधिक दस्तावेजों को सत्यापित करने वाले नोटरी पब्लिक की नियुक्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि-न्याय संबंधी संसदीय समिति ने बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नोटरी संघों समेत कई हित धारकों और विधि-न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद संसद के दोनों सदनों में पेश 140वीं रिपोर्ट में कहा कि नोटरी की नियुक्तियों में हालांकि अजा-जजा, ओबीसी, महिला एवं दिव्यांग श्रेणी को पात्रता में तीन साल की छूट दी जाती है, लेकिन आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है- नोटरियों की नियुक्तियों में अजा-जजा, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व के लिए नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये।

आवेदन चरण में ही अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिये ताकि श्रेणीवार आंकड़े उपलब्ध हो सके। समिति ने नोटरी पेशे में आ रही गिरावट पर चिंता जताते हुये कहा कि कई स्थानों पर नोटरी कारों-टैक्सियों में बैठ कर दस्तावेज सत्यापित करते देखे गये है। झूठे प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर भी आलोचना होती है। कई जगह निर्धारित से ज्यादा शुल्क लेने की बातें सामने आती है। पेशा काफी हद तक अनियमित होने से कदाचार और अनैतिक व्यवहार चलन में आ जाता है। इस चुनौती से पार पाने के लिए नोटरी पेशे को आकर्षक बनाने की जरूरत है, ताकि सुयोग्य वकील इसकी तरफ आकर्षित हो।

समिति ने कहा कि नोटरी को सरकार से वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता। नियमों में निर्धारित शुल्क भी आखिरी बार 2014 में संशोधित किया गया था। वह काफी कम है। समिति ने नोटरी शुल्क में वृद्धि और इसे महंगाई से जाड़ने की सिफारिश करते हुये कहा कि शुल्क हर पांच साल बाद संशोधित किया जाना चाहिये।

समिति ने साक्षात्कार आधारित नियुक्ति खत्म कर बार-कौंसिल की साल में दो बार होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा का पेटर्न लागू करने की सिफारिश की है।

संसदीय समिति की सिफारिशे

* राज्य की आबादी, मुकदमों की संख्या और आर्थिक-वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार पर नोटरी की संख्या निर्धारित हो।
* पात्रता के लिए प्रेक्टिस की अवधि 10 से 5 साल की जाए।
* हर पांच साल बाद नवीनीकरण की बाध्यता खत्म हो। तय आयु तक प्रेक्टिस की अनुमति।
* नोटरी प्रक्रिया डिजिटलीकृत हो। ई-हस्ताक्षर, ई-मुहर, ई-टिकट का प्रयोग बढे।
* शुल्क हर पांच साल बाद संशोधित किया जाना चाहिये।
* समिति ने साक्षात्कार आधारित नियुक्ति खत्म कर बार-कौंसिल की साल में दो बार होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा का पेटर्न लागू करने की सिफारिश की है।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

ग्रुप ए,बी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण को चुनौती

चण्डीगढ। ग्रुप ए और बी पदों पर पदोन्नित में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान करने की हरियाणा सरकार की नीति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका में याचिका पर सुनवाई करते हुये हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला समता आन्दोलन समिति रोहतक की याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा है। याचिका में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकार कार्यकारी निर्देशों एवं नीति के माध्यम से सरकारी सेवा में आरक्षण कोटा से अधिक करने का निर्णय ले सकती है। मामले पर सुनवाई करते हुये जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने मुख्य सचिव हरियाणा और प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पद पर एससी श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया है और इस उद्देश्य के लिए राज्य ने 21 जून और अगस्त को एक पत्र जारी किया है। पत्र जारी करने के बाद, हरियाणा सरकार ने सात अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें एससी वर्ग से संबंधित कर्मचारियों को ग्रप-ए और बी पद के सभी संवर्गों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के निर्देश जारी किये थे जिसमें प्रमोशन कोटा स्वीकृत पद का 20 प्रतिशत तय किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जरनेल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता नामक मामले वर्तमान विवाद को यह कहते हुये सुलझाया था कि राज्य सरकार को एससी वर्ग कर्मचारी के संबंध में डाटा एकत्र करना चाहिये और कर्मचारियों की दक्षता को ध्यान में रखना चाहिये। याचिकाकर्ता संस्था ने सात अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

जूनियर अकाउंटेंट भर्ती

सीईटी लागू रहा तो हर भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग को होगा बड़ा नुकसान

जयपुर। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकर भर्ती की पिछले दिनों जारी की गई 15 गुणा अभ्यर्थियों की कट-ऑफ में सामान्य वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस केटेगरी के महज तीन से चार गुणा अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के योग्य माना गया है। जबकि अन्य वर्ग में 15 गुणा अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों जारी की गई कट-ऑफ के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते भर्ती के अब कोर्ट में अटकने की संभावना बन गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर यही नियम लागू रहा तो सीईटी से होने वाली हर भर्ती में सामान्य वर्ग को नुकसान होगा। दरअसल, पिछली कांग्रेस सरकार ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी का नियम लागू किया था। इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि इसके जरिये जो भी भर्ती होगी उसमें पदों के मुकाबले 15 गुणा अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जायेगा।

चयन बोर्ड ने 5190 पदों के 15 गुणा टॉप अभ्यर्थियों को ले लिया। इसके बाद आरक्षित वर्ग में जिसके 15 गुणा से कम रहे उनको अतिरिक्त शामिल कर लिया, लेकिन यह नियम सामान्य वर्ग पर लागू नहीं किया। टॉप 15 गुणा में सामान्य वर्ग के 3 से 4 हजार अभ्यर्थी ही शामिल हुये और नुकसान हुआ।

अध्यक्ष की कलम से

परिपक्व लोकतंत्र

साथियों,

मैं अभिभूत और प्रसन्न हूँ कि देश में नरेन्द्र मोदी के रूप में एक नेता ऐसा है जो पूरी स्थिरता से कहता है आम चुनाव पार्टी और नेता के नाम पर नहीं केवल निशान के नाम पर लड़ा जायेगा। उन्होंने ऐसा न केवल किया बल्कि प्रमाणित भी किया हैं। अब तक के अनुभवों में पार्टियों किसी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव जीतती रही है। पहला अवसर है जब कमल का निशान ही चुनाव लड़ा। जबकि बाकी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया और इसकी कीमत भी चुकाई।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ में कमल पर लड़ा गया चुनाव कोई दिखावा नहीं अपितु तथ्य साबित हो गया जब चुनावों के बाद रमन सिंह, शिवराज सिंह, वसुन्धरा जैसे धुरंधर नेता स्वयं को अपरिहार्य मानते थे उन सभी को बतला दिया गया कि कमल से बड़ा कोई नहीं है। यह भी जगजाहिर है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी तथा स्पष्ट सोच दिखाई देती है।

व्यक्तित्व और चरित्र में साफ-सुथरे नरेन्द्र मोदी देश को समझाने में सफल रहे हैं कि व्यक्ति आधारित व्यवस्था भ्रष्टाचार की जननी है। हमारा तो ये भी मानना है कि लोकतंत्र को निशान आधारित बना देने से वह अधिक परिपक्व और पारदर्शी होगा जो अन्ततः भारत को पुनः विश्व के शिखर पर पहुंचाने का कारक बनेगा।

जय समता।

सम्पादकीय

''जात-धर्म-देश''

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव परिणामों ने न केवल देश को चौंकाया वरन कथित गोदी मीडिया द्वारा दिये जाने वाले एग्जिट पोलों को भी खोखला सिद्ध कर दिया। हालांकि मणिपुर में भी चुनाव हुये थे लेकिन जब तक वहां के परिणाम सामने आते तब तक उपरोक्त चार में से तीन प्रदेशों में भाजपा और चौथे तेलंगाना में कांग्रेस के प्रचण्ड प्रदर्शन ने मणिपुर को महत्वहीन बना दिया।

महत्वहीनता की दृष्टि से देखें तो एग्जिट पोलों से भी अधिक महत्वहीन सिद्ध गया जातिवाद का मुद्दा। हालांकि जात का कोई वाद नहीं होता है फिर भी विगत लगभग सारे चुनाव जातीय जहर से पीड़ित रहे हैं। इन चुनावों में भी कांग्रेस ने जिस आक्रामक ढंग से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया वह भी लफ्फाजी तक सिमट कर रह गया। कम से कम हमारी याद में ये विधानसभा चुनाव इस रूप में याद रहेंगे कि इस बार जाति और जातीय आरक्षण का कहीं भी मुद्दे के रूप में खड़ा नहीं हो पाया।

यह तो सुखद और ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यक्षत: भले ही जाति और जातीय आरक्षण मुद्दा न रहा हो लेकिन गुप्त रूप से पार्टियों ने इसे खूब काम मे लिया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण समाज की सीटे विगत विधानसभा की तुलना में घटकर 17 की जगह केवल पन्द्रह रह गई। हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने मिलाकर कुल 35 टिकटे इस समाज को दी थी लेकिन जीते आधे से भी कम। दूसरी तरफ राजपूत-ब्राह्मण बहुल या कहे दस सामान्य सीटों पर आरक्षित वर्ग के सदस्य चुन कर आ गये हैं। इसे अनारक्षित समाजों की अकर्मण्यता माने या पार्टियों की चतुराई!! ये बड़ा प्रश्न है।

जात के नाम पर बनी, चली फिर दौड़ी ऐसी एकमात्र बहुजन समाज पार्टी भी औंधे मुंह गिरि है। पिछले दो चुनावों में छ: विधायक जिताने वाली पार्टी के एक दो सदस्य जीते भी है तो उसमें जाति की शक्ति प्रमाणित नहीं हुई है। इस तथ्य पर खुश होने के पर्याप्त कारण है लेकिन जिस तरह जात के स्थान पर धर्म की गतिविधि बढी है वह भी कोई कम चिंता का विषय नहीं है। कोई लोकतंत्र में जात और धर्म की पहचान नागनाथ-सॉपनाथ की तरह की जाती है। भय इस बात का है कि जिस तरह धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता दीख रहा है वह इस कारण चिंता का विषय है कि पहले कभी भी ये ध्रुवीकरण प्रतिशतता के रूप में नहीं रहा। जबकि विगत यूपी चुनाव के बाद से देश, पार्टियॉ और मतदाता साफतौर पर 80/20 में बंध गये हैं। यदि ये जातिवाद को समाप्त करने के लिए सोची-समझी रणनीति हैं तो ठीक है। अन्यथा चिंता का विषय है।

जाति धर्म के नाम पर जन का बंटवारा सही नहीं है इसे सब महसूस करते हैं। लेकिन अब आगे जो संकट दिखाई दे रहा है, वो है देश का भारत, इंडिया और हिन्दुस्तान के रूप में बंटवारे का संकेत। सभी समझदार लोग जानते और मानते है कि धरती के टुकड़े का नाम देश नहीं होता। अर्थात धरती के टुकड़े को देश बनाती है वहां की जनता। संभवत: इसीलिये कम से कम भारत में सदियों से जनता की प्रतिष्ठा जन-मन में जनार्दन के रूप में चली आ रही है। वर्तमान में प्रोद्योगिकी के महाविस्फोट में सभी कुछ बदल रहा है। बल्कि यूं मान सकते हैं कि भविष्य में सरकारों और पार्टियों के हाथों में कुछ भी नहीं रहने वाला है। इस चेतावनी को समय रहते समझना होगा। शुभम।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण का राजनीतिक करण समाज का विघटन तो नहीं कर रहा है ?

न्यायमूर्ति पानाचंद जैन, संरक्षक समता आन्दोलन

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अधिनियम के प्रावधानों का गलत उपयोग होने के प्रकरण को लेकर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगायी थी। इस विषय को लेकर दलित संगठनो ने भारत बंद कराया। न्यायलय के निर्णय को दलित संगठनो ने खुली चुनौती दी ए भारत बंद में अहिंसक घटनाएंए तोड़ फोड़, आगजनी हुई। आज तक हिंसा करने, तोड़ फोड़, आगजनी करने वालों पर कोई मुकदमा सफ्लता के साथ नहीं चला और न किसी के विरुद्ध हर्जाने की कार्यवाही की गयी।

दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को इस बंद के विरोध में सर्वसमाज ने भारत बंद कराया हैं। कौन हैं वह मूल संगठन जिसने यह बंद कराया हैं, एक नाम बतलाना कठिन हैं। किन्तु यह सच है बंद तो हुआ था। यह कयास लगाना गलत नहीं होगा जैसे एक अखबार में यह धारणा अभिव्यक्त की है कि कही सोशल मीडिया तो इस के पीछे नही हैं।

दलित विरोधी सरकार के नारे सुनाई दे रहे थे। वर्तमान सरकार के लिए दलित उत्पीडन को लेकर कांग्रेस उपवास पर थी। राहुल गाँधी कहते हैं भाजपा देश बांटना चाहती हैं।

सन् 1947 से लेकर आज तक हम यह समझ ही नहीं पाये हैं, अल्पसंख्यक कौन हैं? दलित कौन हैं ? आरक्षण किसके लिए था, क्यों था? सर्वप्रथम अगस्त, 1947 में अल्पसंख्यको के अधिकारों की बाबत एक रिपोर्ट सार्वजानिक हुई थी जिसमे अछूतों के, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कही गई थी। जब सविंधान लागू हुआ, उसमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख हैं। सविंधान में सामाजिक न्याय के तहत इन्हें आरक्षण सरकारी नौकरी व् शिक्षण संस्थानों में दिया गया, साथ ही इन्हे प्रतिनिधित्व भी (चुनावों में आरक्षण) देने का उल्लेख हैं। ब्रिटिश राज के समय एक कॉम्युनल एवार्ड 4 अगस्त, 1932 को पारित हुआ, जिसमे मुसलमान, सिख, ईसाई आदि जाति की अलग इलेक्ट्रोरल रॉल बनायी गयी और इसका विस्तार दलितों को जोड कर किया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। डॉ0 आंबेडकर के सुझाव पर कि अलग मतदाता सूची न बनाकर इनके हेतु अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनायी जावे, को स्वीकार किया गया। सविंधान में ओबीसी का भी उल्लेख हैं, इस कारण मंडल कमीशन के केस में आरक्षण को केवल सामजिक आधार पर ही माना हैं। यह आरक्षण पिछड़ो को पिछड़ेपन के कारण दिया गया।

सविंधान के अनुछेद 30 में यह घोषणा की गयी कि धर्म व भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना व प्रबंध का अधिकार होगा। इंद्रा साहनी के केस में अहिन्दु धार्मिक ग्रुपों में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैनों को सर्वोच्च न्यायलय ने माना। अल्पसंख्यक का पुरे सविंधान में उल्लेख केवल अनुछेद 29 व 30 ही में मिलता हैं। यह प्रावधान धार्मिक अल्पसंख्यक का बोधक हैं।

अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में हुई और इसे सन् 1992 में कानूनी संरक्षण देने हेतु नेशनल कमीसन फॉर माइनोरिटी अधिनियम,1992 दिनांक 17.05.1993 से लागू किया गया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम में अल्पसंख्यक की एक नयी परिभाषा को जन्म दिया गया, जिसका उल्लेख सविंधान में नहीं हैं। सविंधान कहता हैं कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना करने व चलाने का अधिकार हैं और इसके विपरीत धारा 2सी राष्ट्रीय आयोग कमीशन, अधिनियम,1992 स्पष्ट घोषणा करती हैं की अल्पसंख्यक वह होगा जिसे केंद्र सरकार गजट विज्ञप्ति के द्वारा घोषणा कर दे।

सरकार द्वारा अब तक समय समय पर धारा 2सी के तहत मुसलमान,बौद्ध, सिख, जैन, पारसी आदि को अल्प संख्यक घोषित किया हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के बाद अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग फॉर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यून्स अधिनियम, 2004 भी लाया गया हैं। उक्त अधिनियम 2004 में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा वही है जो 1992 के एक्ट के तहत है यानि मनमानी व निरंकुश है। मुसलमान, सिख, ईसाई, आदि सभी धार्मिक रूपों ने अपनी शिक्षण संस्थाओ को पंजीकृत करा लिया हैं। ये रूप 1992 व 2004 के अधिनियमों का भरपूर लाभ ले रहे है और अपनों को अल्पसंख्यक कहते हैं, जबकि वे केवल अनुछेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओ के संचालन हेतु ही अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अधिनियम 1992 के तहत घोषित अल्पसंख्यक राजनैतिक हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अनुसूचित जाति आयोग की तरह स्वयं को सवैंधानिक दर्जा दिए जाने की मांग का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा। राष्ट्रीय कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट, 1993 संसद ने पारित किया। यह कमीशन अनुछेद 340 के तहत नियुक्त किया गया है, जबकि अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, तो सविंधान की तीनों ही सूचियों में से किसी के अंतर्गत भी नहीं आता है। फिर राष्ट्रीय सल्पसंख्यक आयोग को सवैंधानिक दर्जा दिलाने की मांग केवल राजनैतिक अवैध मांग हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, में अल्पसंख्यक घोषत करने का अधिकार केंद्र को है अब 17.04.2001 से राज्य को भी है। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने का दायित्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग फॉर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यून एक्ट 2004, के तहत उक्त कमीशन का है। टीएमएपाई के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूकिं देश का गठन राज्यों के आधार पर है, इसलिए अल्पसंख्यक का निर्धारण भी राज्य के आधार पर होना चाहिये। राज्य सरकार अनुच्छेद 30 के तहत विज्ञप्ति जारी कर ही धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। अधिनियम 1992 के तहत घोषित अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं।

सन् 1997 में विभाजन हुआ। वर्तमान में देश बंट रहा है। संख्या बल पर ओबीसी व पिछड़े आज राजनीति पर हावी हैं, उनको अपने साथ रखने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है, सबको यह दिखाया जा रहा है, वर्तमान सरकार पिछड़ों के विरुद्ध है। गत 70 वर्षो से मुस्लिम अल्पसंख्यक मानकर चुनावों को प्रभावित कर रहे है। अब पिछड़े कर रहे है । हिन्दुओं से अलग होकर 1992, के अधिनियम का लाभ लेना चाहते हैं। लिंगायत शेव हिन्दू हैं वे 1992 अधिनियम का लाभ लेने हेतु अपने को धारा 2सी में अल्पसंख्यक घोषित करना चाहते हैं। कर्नाटक के चुनाव में लिंगायतों की अहम् भूमिका होती है। देश बंटता जा रहा है। अल्पसंख्यक की धारा 2सी परिभाषा ही ने समाज को बाँट दिया है। केंद्र सरकार से विज्ञप्ति जारी कराओ और आप राजनैतिक अल्पसंख्यक हो गए फिर अल्पसंख्यक आयोग के खजाने से लाभ ही लाभ बटोरो।

समाज बंट रहा है, देश खंडित हो रहा है, भेदभाव चरम पर है और वर्तमान स्थिति कही ऐसी तो नहीं जो सन् 1932 में थी। सावधान होना आवश्यक है, कौन है वह जो ''बांटोंऔर राज करो'' का खेल, खेल रहा है। कई देश दूसरे बंटवारे में कहीं खो न जावे। आरक्षण का विरोध नहीं है, पिछडों को (जो वास्तव में पिछड़े है) उन्हें आरक्षण मिलना चाहिये, किन्तु जो क्रिमीलेयर में आ चुके है उन्हें आरक्षण से बाहर करना ही होगा, ताकि पिछड़ों के साथ न्याय हो सकेगा, जिसके वे अधिकारी है। आरक्षण तथा अल्पसंख्यक के चक्रव्यू से निकलना ही होगा अन्यथा समाज का विघटन रोकना कठिन होगा।

पौराणिक कथन: 'उपनिषद्'

कुन्ती और महाराज पाण्डु के पुत्र जो युधिष्ठर से छोटे और अर्जुन से बड़े थे।

कथा कहानी सुनते सुनते,
जाल जाति का बुनते-बुनते।
लोकतंत्र यूँ शिथिल हुआ है-
थका-थका सिर धुनते-धुनते।।

कविता

भटके सांसदों को मनायेंगे

देखो देश स्वतंत्र अब
समझो पिच्हत्तर का हो गया है।
किंतु लोक प्रशासन का,
भाई चारा खो गया है।।
पद उन्नत आरक्षण से,
संविधान घायल है फिर-फिर।
जातिवादी सांसद बढते
संसद जाती फिर-फिर, घिर-घिर।।
अनुच्छेदों में सोलह चार ए,
जिसने जहर बीज बोया है।
इससे कुंठित घायल होकर,
योग्य जनों का मन रोया है।।
पद उन्नति में भी आरक्षण,
धैर्य दलित का टूट रहा है।
पद पर काबिज आरक्षित ही,
भाग्य दलित का लूट रहा है।।
न्यायतंत्र के निर्णय सारे,
रखते हम सबको जिन्दा हैं।
देख सांसदों की करतूतें,
सवा सौ करोड़ जन शर्मिन्दा हैं।।
बेशर्मी की हद तो देखो,
जातिवाद का फितूर फिर ला रहे हैं।
जिनको हमने चुनकर भेजा,
हम पर चाकू चला रहे हैं।।
उद्घोषक बन समता आन्दोलन,
जन मानस को जगा रहा है।
राष्ट्र को मानकर परम देवता,
समता ज्योति जला रहा है।।
पहले तो संकल्प बद्ध हम,
भटके सांसदों को मनायेंगे।
इस पर भी यदि वे न माने तो,
निश्चित धूल चटायेंगे

- पाराशर नारायण

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

उदाहरण के लिए, किस प्रकार, आधुनिकीकरण के चलते जाति - विस्फोट हो रहा है, -उसे दृढतापूर्वक उपेक्षित कर दिया जा रहा है। इससे भी दु:खद बात, गुणवत्ता स्तर और मानदंड- जो आज की कडी प्रतियोगितावाली दुनिया में हमें स्वयं को बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं - को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और वह भी किसी अवसरवादी राजनेता की बातों में आकर ।

हम 'कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता' की बात करते हैं ; हम 'कानूनों की सरकार, लोगों की नहीं' की बात दोहराते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कानून क्या है? जननेता का जामा पहने किसी भडकाऊ या जनोत्तक व्यक्ति से बचाने के लिए वह क्या कर सकता है, जो स्वयं को सामाजिक न्याय का मसीहा बताकर लोगों को छलता है? वह संविधान ही क्या है, जिसे बार-बार बदल दिया जाता है ?

निस्संदेह पिछडों का उत्थान किया जाना चाहिए । लेकिन इस मामले में उन्हें दी जानेवाली मदद अलग तरह की होनी चाहिए ; यह ऐसे सकारात्मक उपाय के रूप में होनी चाहिए, जो उनके स्तर को ऊपर उठा सके और उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में मदद कर सके । नौकरियों में अर्हता- स्तर गिराकर या उनके लिए अलग से पद/सीटें रोककर उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए ।

आरक्षण की व्यवस्था की एक विडंबना यह रही है कि इससे लोगों में आत्मनिदां की भावना पैदा हुई है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा जाता कि विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों के सदस्य पिछड़े स्तर का लाभ प्राप्त करने के लिए कतारों में लग जाएं। दुनिया के किसी देश में ऐसा भी नहीं देखा जाता कि लोग यह दावा करते फिरें कि ''हम तुमसे ज्यादा पिछड़े हैं।''

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण कोई उपयुक्त उपाय नहीं हो सकता। गरीबी ही वस्तुत: सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। अत: गरीबी ही सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता है।

''यदि (पिछड़े वर्ग में मौजूद) सम्पन्न लोगों को अलग नहीं किया जाता है तो वे स्वयं उस आरक्षण के लाभ को निगल जाएंगे, जो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए है।''

''जाति एक सच्चाई है, निस्संदेह धर्म और उपजाति भी। लेकिन क्या इन्हें सेवाओं या नौकरियों में आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है? क्या सरकार किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकती है? कम से कम ऐसे संविधान के अंतर्गत नहीं, जिसके मूल में धर्मनिरपेक्षवादी सिद्धांत है।

''जाति एक सच्चाई है, निस्संदेह धर्म और उपजाति भी। लेकिन क्या इन्हें सेवाओं या नौकरियों में आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है? क्या सरकार किसी भी रूप में इसका प्रयोग कर सकती है? कम से कम ऐसे संविधान के अंतर्गत नहीं, जिसके मूल में धर्मनिरपेक्षवादी सिद्धांत है।

''चूंकि प्रत्येक हिंदू की एक जाति होती है, अत: यदि किसी भी हिंदू को जाति के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर सूची से बाहर कर दिया जाता है तो वह यही मानकर चलेगा कि उसका बहिष्कार जाति के आधार पर ही किया गया है।''

कुण्ठित जातिवादी आई.पी.एस. रवि प्रकाश मेहरडा को राजस्थान का पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य मंत्री राजस्थान भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि कुण्ठित जातिवादी आई.पी.एस. अधिकारी रवि प्रकाश मेहरडा को राजस्थान राज्य का पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया जाए।

समता आन्दोलन समिति ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान राज्य में कार्यरत आई.पी.एस. अधिकारी रवि प्रकाश मेहरडा कट्टर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। और अपने अनेक जातिवादी कुकृत्यों के कारण लगातार विवादित रहे है। मेहरडा ने अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइटस) के पद पर रहते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रमुख गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिखित आदेशों की अवहेलना करते हुये एक अविधिक परिपत्र जारी करके राजस्थान में एट्रोसिटी एक्ट के अधीन एफआई.आर. दर्ज होते ही गिरफ्तारी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया, जिससे प्रदेश के सैकड़ों निरपराध लोगों को अविधिक यंत्रणाओं का दंश झेलना पड़ा। समता आन्दोलन द्वारा केन्द्र सरकार को इनके विरूद्ध शिकायत करने पर केन्द्र सरकार ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव को नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिये गये थे लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने वोटों की राजनीति के चलते इन्हें अविधिक संरक्षण दिया। इसके बाद समता आन्दोलन द्वारा मेहरडा को नियमानुसार दण्डित करने की याचना सहित एक याचिका संख्या (7633/2020) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की जिसमें

भरतपुर के संभागीय आयुक्त को केदारनाथ पाराशर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया

नोटिस जारी हो चुके है लेकिन अशोक गहलोत की सरकार के एडवोकेट जनरल महोदय द्वारा दुष्प्रयास करके इस याचिका में आगे सुनवाई नहीं होने दी जा रही है। मेहरडा द्वारा सामान्य और ओबीसी वर्ग के अनेक निरपराध लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के अधीन अविधिक रूप से गिरफ्तार करवाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया गया, ऐसे ही एक प्रकरण में राज्य सरकार की एक महिला अधिकारी को समता आन्दोलन के हस्तक्षेप के बाद अविधिक गिरफ्तारी से बचाया जा सका था।

समता आन्दोलन द्वारा विगत विधानसभा चुनावों के दौरान अशोक गहलोत की जातिगत राजनीति को उजागर करने वाली करतूतों को क्रमबद्ध करते हुये एक पैम्पलेट वितरित करवाया गया था जिसे सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने अग्रेषित किया। इस पैम्पलेट के बिन्दु संख्या-6 में उपरोक्त मेहरडा की करतूतों और इन्हें गहलोत द्वारा दिये गये अविधिक संरक्षण का भी उल्लेख किया गया था।

सोशल मीडिया पर और अखबारों में यह खबर चल रही है कि रविप्रकाश मेहरडा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से मिलकर स्वयं को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनवाने का प्रयास कर रहे है। पत्र में समता आन्दोलन समिति द्वारा प्रार्थना की गई है कि रविप्रकाश मेहरडा जैसे कट्टर जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति को राज्य का पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया जाये। यदि राजनैतिक मजबूरी से किसी अजा वर्ग के ही आई.पी.एस. को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाना आवश्यक हो तो कृपया अजा वर्ग के अन्य किसी समतावादी अधिकारी को पुलिस महानिदेशक बनाने का अनुग्रह करे। ताकि राज्य के सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के करोड़ों नागरिकों को अविधिक जातिगत प्रताडनाओं से बचाया जा सके।

समता आन्दोलन समिति के सभी संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर जिला कलेक्टर एवं एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भिजवाई गई है। साथ ही सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों एवं राजस्थान के नव निर्वाचित विधायकों को भी यह ज्ञापन भेज कर प्रतियाँ प्रेस मीडिया को भी भेजी गई है।

लोक मान्यताओं की दिशा और दशा

दिशा निर्धारण के लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार

एक तालाब में प्रजातान्त्रिक तरीके से एक मेढ़क राजा राज करता था, उसके जन विरोधी फैसलों का अन्य मेढ़को ने विरोध शुरू किया । इससे दुखी होकर मेढ़क राजा तालाब में एक साँप लाया ताकि उन मेढ़को को खत्म करा सके जिनके विरोध से उसके स्वार्थ पूरे नही होते थे । साँप ने आते ही मेढ़को को खाना शुरू किया व ईच्छा पूर्ण होने पर मेढ़क राजा से कहा कि अब तुम मेरे लिए रोजाना एक मेढ़क को भेजोगे। यह परम्परा पड़ौसियो के पूरे होने पर परिवार पर आ गई व इस पद्धति से उसका परिवार भी एक दिन खत्म हो गया अंत में साँप ने कहा कि मेढक राजा भोजन बनो या लाओ । मेढ़क राजा भोजन हेतु अन्य मेढ़क लाने में असमर्थ रहा इस स्थिति में साँप ने उसको खाकर अपनी भूख शान्त की ।

यह स्थिति सरकारी नौकरियो व सरकारी योजनाओ में हो गई है अब बारी जनप्रतिनिधियो की है और यह आरक्षण रूपी साँप अब उनको ही खायेगा।

वर्तमान में इतिहास

एक झरने के उपरी हिस्से में एक भेड़िया पानी पी रहा था व निचले हिस्से मे एक मेमना । जैसे ही भेड़िये की नजर मेमने पर पड़ी तो उसका मन उसको खाने को ललचाया । भेड़िया चलकर मेमने के पास आया व कहा कि तुम पानी को गन्दा क्यो कर रहे हो ? इस पर मेमने ने कहा कि श्रीमान मै तो नीचे के हिस्से में पानी पी रहा हूँ,, ऐसी स्थिति में मैं पानी कैसे गन्दा कर सकता हूँ । इस पर भेड़िया ने कहा कि तुमने एक वर्ष पहले मुझे गाली दी थी तो मेमने ने कहा कि श्रीमान् मेरी उम्र तो एक वर्ष है ही नही फिर मै आपको गाली कैसे दे सकता हूँ ? इस पर भेड़िया गुस्से में आकर बोला कि तो मुझे गाली तेरे बाप,दादा या परदादा ने दी होगी ? इसी के साथ वह उस पर झपटा व मारकर खा गया ।

आरक्षण की वैधता के लिए पूर्व पीढ़ियो को दोषी ठहरा कर वर्तमान के साथ अन्याय किया जा रहा है । अब लाखों निर्दोष युवाओं की स्थिति मेमने जैसी हो गई है ।

जन प्रतिनिधि कैसा हो ?

एक बार एक सोने की अंगूठी को लेकर दो भाईयो में हमेशा झगड़ा होता था, इसका फायदा बिचौलिये (नेता) उठाते रहते थे । एक भले आदमी ने जब यह देखा तो वह उस भाई के पास गया जिसके पास अंगूठी थी उसने कहा कि मुझे वह अंगूठी दिखाओ , उसने उसे अंगूठी दिखाई तो भले आदमी ने वैसी ही एक अंगूठी सुनार से बनाकर दूसरे भाई को दे दी व दोनो भाई बड़े ही प्रेम से रहने लगे ।

एक दिन जब दोनो भाई आपस में खुश थे तो उन्होने कहा कि देखे अंगूठी तो मेरे पास है, दोनो ने एक दूसरे के पास अंगूठी देखी तो जिसके पास अंगूठी थी वो उस भले आदमी के महान कार्य से बहुत ही खुश हुआ ।

ऐसे भले व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि अच्छे रहते है ।

आरक्षण की कभी नहीं हुई समीक्षा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार एवं एनसीबीसी को जारी किये नोटिस

चण्डीगढ। हाईकोर्ट को बताया था कि एनसीबीसी की गाइड लाइन के अनुसार और इंदिरा साहनी व राम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण की हर 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए। बावजूद इसके आज तक समीक्षा नहीं हुई है। विभिन्न जातियों को दिए आरक्षण की समीक्षा कभी नहीं होने को लेकर दाखिल एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

स्नेहांचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि एनसीबीसी की गाइड लाइन के अनुसार और इंदिरा साहनी व राम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण की हर 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए। बावजूद इसके आज तक समीक्षा नहीं हुई है। भारत में आजादी के बाद जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तब से लेकर अब तक राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। वोट बैंक के लिए आरक्षण पाने वाली जातियों की संख्या में बढ़ोत्तरी तो कर दी जाती है परंतु किसी जाति को इससे बाहर नहीं किया जाता है। याची ने कहा कि आरक्षण लागू करते हुए हर 10 वर्ष में समीक्षा करने का प्रावधान रखा गया था लेकिन यह कार्य किसी ने भी नहीं किया। हरियाणा में आरक्षण के लिए मंडल कमिशन की रिपोर्ट को 1995 में अपनाया गया।

सन 2000 में होनी थी समीक्षा

इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि 20 साल में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाए। याची ने कहा कि इस आयोग की रिपोर्ट को 15 साल बाद 1995 में अपनाया गया था और ऐसे में 2000 में इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी स्तर पर समीक्षा का प्रयास नहीं किया गया। याची ने कहा कि एनसीबीसी और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण व्यवस्था के लिए आंकड़े एकत्रित करने और समीक्षा करने के लिए पूरा प्रक्रिया को स्पष्ट किया है लेकिन राजनीतिक दलों ने हित साधने के लिए इसे अपनाया ही नहीं।

1993 में कंबोज कमिशन बनाया गया तो वहीं 1999 में गुरनाम सिंह कमिशन बनाया गया। इन सभी में कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात तो कही गई परंतु आंकड़ों के आधार पर किसी को बाहर करने की बात नहीं कही गई। याची ने कहा कि 1951 से लेकर अभी तक केवल जातियों को शामिल ही किया गया है। हाईकोर्ट ने इस पर याची से पूछा था कि इस बारे में किया किया जा सकता है।

याची ने कहा कि नए सिरे से आंकडें एकत्रित करते हुए यह देखा जाना चाहिए किस जाति को आरक्षण की जरूरत है और किसे नहीं। यह प्रक्रिया हर 10 साल में अपनाई जानी चाहिए। याची ने उदाहरण के माध्यम से कहा कि 1951 से 71 जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्ष लाभ प्राप्त है और क्या अभी तक इन में से कोई एक जाति भी आगे नहीं बढ़ पाई है।

Akhilesh Upadhyay +91 7627049088 +91 9462961756
Anshu Enterprises
(Authorised Trade Partner)
Vinay ELECTRICAL SOLUTIONS
Near Vinayak Complex, Panchsheel Nagar, Ajmer-305001
E-mail: akhilesh0756@gmail.com
website: www.vinayelectricals.com

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in